

50



**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 796]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 28, 2014/चैत्र 7, 1936

No. 796]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 28, 2014/CHAITRA 7, 1936

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2014

का.आ. 961(अ).—अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 का 25) की धारा 6 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 4 के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा श्री गौतम गुहा, अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली को श्री एस. के. श्रीवास्तव के स्थान पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली का सदस्य मनोनीत करती है तथा उस प्रयोजनार्थ का.आ. 793 (अ), दिनांक 20 मार्च, 2013 के तहत भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या वी.16011/1/2009-एम.ई.-1 दिनांक 20 मार्च, 2013 में निम्नलिखित संशोधन करती है:—

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 2 एवं उससे संबंधित प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित क्रम संख्या एवं प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जानी चाहिए, अर्थात्:

2. "श्री गौतम गुहा,  
अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार,  
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,  
नई दिल्ली"

[फा. सं. वी-16011/1/2009-एम.ई.-1]

संदीप कुमार नायक, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी: मुख्य अधिसूचना का.आ. 793 (अ), दिनांक 20 मार्च, 2013 के तहत भारत के राजपत्र (अ) में प्रकाशित की गई थी।